न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

1- मुन्नी देवी पत्नि शिवराम ब्राम्हण

2- शिवराम तनय ब्रदीप्रसाद ब्राम्हण

दोनों निवासी ग्राम घटरा तहसील गौरिहार

जिला छतरपुर म०प्र०

--- पुनरीक्षणकर्ता

वनाम

1- अरूण कुमार

2- राजाराम

3- प्रमोद सिंह

4- पवनसिंह पुत्रगण श्री छुट्टनसिंह

5- श्रीमति भूरी पत्नि छुट्टनसिंह

समस्त निवासी ग्राम महराजपुर हाल घटरा

तहसील गौरिहार जिला छतरपुर

--- उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक । निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के राज०प्रकरण क्रमांक 224।निगरानी।अपील।2007-08 में पारित आदेश दिनांक 21-3-2014 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदिका मुन्नीबाई ने तहसील न्यायालय में दिनांक 28-4-2004 को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसने ग्राम घटना की भूमि सर्वे नंबर 1622 रकवा 14-56 एकड़ में से 5-00 एकड़ भूमि पंजीयित विक्रयपत्र द्वारा गयाप्रसाद से क्रय की थी । पंजी क्रमांक 2 पर पारित आदेश दिनांक 4-3-1968 के द्वारा इस भूमि पर उसका नामान्तरण भी हो चुका था, लेकिन हल्का पटवारी की भूल से इस आदेश का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं किया, अत: राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया

-2

(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1916–तीन/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 224/निगरानी/अपील/वर्ष 2007–2008 में पारित आदेश 30–4–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है । 2– अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को गुणदोषों पर अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध है । अतः दूसरी निगरानी ग्राह्य करने का पर्याप्त आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	